राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/2020/ 11712 - 11719 दिनांक 4/3/20

स्मरण पत्र–II

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
अजमेर/जयपुर/भरतपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर

विषयः–मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के प्रथम व द्वितीय चरण के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र बाबत्।

संदर्भः–1. विभागीय पत्रांक 2915–2922 दिनांक 17.01.2020
2. विभागीय पत्रांक 110411–110417 दिनांक 26.12.2019
3. विभागीय पत्रांक 99697–99890 दिनांक 21.11.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के प्रथम व द्वितीय चरण के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सात दिवस में एमजेएसए पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करने तथा प्रपत्र–1 (संलग्न) में ऑफलाईन सूचना निदेशालय में प्रस्तुत करने बावत् निर्देशित किया गया था। अतः उपरोक्त के संदर्भ में आपके संभाग की आज दिनांक तक की स्थिति संलग्न कर पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पेडिंग कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सात दिवस में ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करें तथा प्रपत्र–1 को ऑफलाईन भरकर निदेशालय में जमा करायें (ईमेल–cedlbjp@gmail.com)। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि एमजेएसए का समस्त भुगतान नियमानुसार 3 दिवस मे करते हुए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

आपको पूर्व में भी चेतावनी दी जा चुकी है, परंतु बडा ही खेद का विषय है कि आज दिनांक तक ना तो कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड हुए है और ना ही संपूर्ण सूचना निदेशालय में प्रेषित की गयी है। अतः उपरोक्त कार्य पूर्णता प्रमाण एवं एमजेएसए का समस्त भुगतान नियमानुसार 3 दिवस मे करते हुए कार्य पूर्णता पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही की अनुपालना नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरूद्व नियम सीसीए–17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये संबंधित अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/2020/ 11720 – 11951 दिनांक 4/3/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Scanned with CamScanner